2017 का विधेयक संख्यांक 195

[दि स्पेशल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ (फॉर चिल्ड्रेन ऑफ पैरेन्ट्स लिविंग बिलोपावर्टी लाइन) बिल, 2017 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

विशेष शैक्षणिक सुविधायें (गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता–पिता के बच्चों के लिए) विधेयक, 2017

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता–पिता के बच्चों को विशेष शैक्षणिक सुविधाओं तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विशेष शैक्षणिक सुविधायें (गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता–पिता के बच्चों के लिए) अधिनियम, 2017 है। संक्षिप्त नाम और विस्तार।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

परिभाषा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है; और

(ख) ''गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता'' से ऐसे माता-पिता अभिप्रेत हैं जिनकी सभी स्रोतों से आय बीस हजार रुपये प्रति मास से कम है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता से जन्मे बच्चों को सुविधायें।

3. समुचित सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता से जन्मे प्रत्येक बच्चे को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करे, अर्थात्:—

(क) स्कूल स्तर से लेकर उच्चतर चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा सहित स्नातकोत्तर स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा;

(ख) नि:शुल्क छात्रावास सुविधाएं, वर्दी, भोजन तथा ऐसी अन्य सहायता और सुविधायें जो बच्चों की उचित शिक्षा के लिए आवश्यक हों; और

(ग) बच्चे की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात् उसे लाभप्रद रोजगार।

छात्रवृत्ति।

4. समुचित सरकार सुयोग्य मामलों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों को अध्ययन करने के दौरान प्रतिमास अधिकतम एक हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता से जन्मे बच्चों के लिये चिकित्सा और तकनीकी महाविद्यालयों में स्थानों का आरक्षण।

5. समुचित सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता से जन्मे बच्चों के लिये सभी चिकित्सा और तकनीकी महाविद्यालयों और उच्च अध्ययन के संस्थानों में कुल स्थानों में से 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित करेगी।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को पर्याप्त निधि प्रदान करेगी।

6. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त निधि प्रदान करेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

7. (*1*) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारे देश की कुल जनसंख्या के लगभग 45 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। उनकी आमदनी इतनी कम है कि उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए जीवन भर जूझना पड़ता है। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है और वे अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने तक की बात नहीं सोच सकते। चूंकि सार्वभौमिक शिक्षा का विस्तार तथा वर्गविहीन और पंथविहीन समाज की स्थापना हमारे संविधान के मूल उद्देश्यों में से एक है, इसलिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों अर्थात् जिनकी कुल पारिवारिक आय बीस हजार रुपये प्रतिमास से कम है, के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान करना चाहिए और उन्हें पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री, परिवहन और छात्रावास की सुविधायें नि:शुल्क प्रदान की जानी चाहिएं ताकि वे अपना जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिये उचित शिक्षा प्राप्त कर सकें और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। यह देश से निरक्षरता को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने और उच्च वर्ग के बच्चों के साथ स्पर्धा करने में भी सहायता मिलेगी।

शिक्षा की लागत तथा जीवनयापन की लागत में बढ़ोतरी हो गई है तथा बीस हजार रुपये प्रतिमाह की सीमा सही प्रतीत होती है। इसे ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में अति निर्धन परिवारों के मेधावी छात्रों को प्रतिमाह एक हजार रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली; **उदित राज**
17 जुलाई, 2017
26 आषाढ़, 1939 (शक)

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता से जन्मे बच्चों को समुचित सरकार द्वारा चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा आदि सहित नि:शुल्क शिक्षा का उपबंध किया गया है। इसका आशय ऐसे बच्चों को नि:शुल्क छात्रावास, वर्दी, भोजन आदि की सुविधाओं के लिये भी उपबंध करना है। खंड 4 में उपबंध है कि समुचित सरकार सुयोग्य मामलों में ऐसे बच्चों को अधिकतम एक हजार रुपये प्रतिमाह तक की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। खण्ड 6 इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त निधि प्रदान करने का उपबंध करता है। संघ राज्यक्षेत्रों में विधेयक के उपबंधों को लागू करने पर होने वाला व्यय केन्द्रीय सरकार को वहन करना है। राज्यों के संबंध में होने वाला व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा। अत: विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर प्रतिवर्ष दस हजार करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर बीस हजार करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खंड 7 में केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरों के मामलों से संबंधित होंगे, अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों को विशेष शैक्षणिक सुविधाओं तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए
विधेयक

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—2549LS(S-3)—17.11.2017.